प्रेस नोट दिनांक 29.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक- 29.07.2026
थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा "दुष्कर्म" के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त रिंकू तिवारी गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पुरानी बाजार रहिमाकुली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व मे व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 राजकिशोर रि0का0 अजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 64 (1)/62/115 (2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रिंकू तिवारी पुत्र अशोक तिवारी निवासी सगरा सुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत पुरानी बाजार रहिमाकुली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रिंकू तिवारी पुत्र अशोक तिवारी निवासी सगरा सुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 राजकिशोर रि0का0 अजीत कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 29.07.2026
थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त मुकेश गौतम गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गलगली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व मे म0उ0नि0 कीर्ति रमन मय हमराह का0 गौरव व रि0का0 युवराज सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 352/351(3)/69 बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मुकेश गौतम पुत्र लल्लू गौतम निवासी ग्राम धनीपुर कोर्रही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत गलगली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मुकेश गौतम पुत्र लल्लू गौतम निवासी ग्राम धनीपुर कोर्रही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 कीर्ति रमन मय हमराह का0 गौरव व रि0का0 युवराज सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.07.2026
थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोहंडौर के म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह का0 अजय गोंड द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अपर सिविल जज जू डि0 कोर्ट नं0-22 जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत मु0नं0-9791/21 धारा 147/149/323/504/506 भा.द.वि. थाना कोहंडौर से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त इन्तजार पुत्र शाहजहां उम्र 48 करीब वर्ष निवासी ग्राम कस्बा कोहंडौर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. इन्तजार पुत्र शाहजहां उम्र 48 करीब वर्ष निवासी ग्राम कस्बा कोहंडौर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -
म0उ0नि0 आरती पटेल मय हमराह का0 अजय गोंड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.07.2026
थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं पुलिस टीम पर हमला करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना के अन्य नामजद एवं अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास जारी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26/27.07.2026 की रात्रि थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त के दौरान ग्राम भैंसना में एक संदिग्ध व्यक्ति का सत्यापन किया जा रहा था। इसी दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा शोर मचाने पर उसके परिजन एवं अन्य लोग लाठी-डंडा एवं धारदार हथियार लेकर एकत्र हो गए तथा पुलिस टीम पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। घटना में पुलिसकर्मी घायल हो गए तथा उनकी वर्दी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0-170/2026, धारा 191(2), 191(3), 221, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 132 बीएनएस बनाम 08 नामजद एवं 20-25 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह का० प्रदीप कुशवाहा तथा का0 अमित कुमार यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. जुम्मन खाँ पुत्र शेर मोहम्मद उम्र करीब 58 वर्ष 2. मो0 जाहिद पुत्र जमाल खान औसत उम्र करीब 26 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम भैंसना थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत छोटेगंज तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. जुम्मन खाँ पुत्र शेर मोहम्मद उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम भैंसना थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़
2. मो0 जाहिद पुत्र जमाल खान औसत उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम भैंसना थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-
उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह का० प्रदीप कुशवाहा तथा का0 अमित कुमार यादव थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.07.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, वाहन चोरी करने वाला एवं खरीदने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों, वीरेन्द्र सिंह चौहान व सूरजबली सरोज को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम सराय देवराय (परुआ), पोस्ट कटरा गुलाब सिंह, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना जेठवारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 26.07.2026 को वह अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को बाबा मेडिकल स्टोर, कटरा गुलाब सिंह के सामने खड़ी कर दवा लेने गए थे। वापस आने पर मोटरसाइकिल मौके पर नहीं मिली। काफी तलाश करने पर जानकारी हुई कि उक्त मोटरसाइकिल को वीरेन्द्र कुमार चौहान पुत्र दूधनाथ निवासी ग्राम नागापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा चोरी कर भिटारा स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया गया है। इस संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0-237/26 धारा 303 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना जेठवारा के उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 हेमन्त, का0 पुष्पेन्द्र, का0 सुभाष भारती, का0 प्रिन्स द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा के उक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. वीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम नागापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत नागापुर तिराहे के पास तथा 02. सूरजबली सरोज पुत्र दुखी सरोज निवासी ग्राम भिटारा थाना जेठवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत नागापुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सूरजबली सरोज की निशानदेही पर 01 अदद चोरी का मोटरसाइकिल क्षति ग्रस्त हालत में बरामद की गई।

अभियुक्तों के कब्जे से उपरोक्त बरामदगी के आधार पर तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के क्रम में अभियोग में धारा 34, 317(2), 317(4) एवं 317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 26.07.2026 को मै बाबा मेडिकल स्टोर कटरा गुलाब सिंह के पास एक स्प्लेन्डर बाइक चुराया था जिसे मै भिटारा मे सूरजबली सरोज कबाडी की दुकान पर 2500 रु. मे बेच दिया हूँ। मै छोटी मोटी चोरी करता हूँ और मै अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ सर सूरजबली सरोज व मेरा एक दूसरे का अच्छा सम्बन्ध है हम लोग मिलकर यह काम करते है। जो मेरे जेब में पैसे मिले है वह पैसे मैने उसी गाडी बेचने पर मिले पैसे है सर मैने लगभग सभी रुपये खर्च कर दिये मात्र 150 रु.बचा है और बाकी सारे पैसे मैने अपने परिवार के खर्च मे कर दिये। जिसकी गाडी मैने चोरी की थी वह मुझे जान गया था। गाडी मालिक ने हमे गाडी वापस करने के लिए कहा था तथा थाने पर जाकर मुकदमा लिखाने की बात कही थी जिस कारण आज मैं डर से कही बाहर जा रहा था कि आप लोग मुझे पकड लिये। वाहन सं0- UP 72

AE 8393 को मै भिटारा थाना बाघराय क्षेत्र मे सूरजबली सरोज के दुकान पर बेचा हूँ यदि आप चले तो मै उसे बरामद करा सकता हूँ।

अभियुक्त सूरजबली सरोज ने बताया कि वीरेन्द्र सिंह चौहान व मै एक दूसरे के अच्छे मित्र है वीरेन्द्र सिंह चौहान कोई भी सामान लाता है तो मै उसे सस्ते दाम मे खरीद कर उसेपैसे दे देता हूँ जिससे हम दोनो लोगो का परिवार चलता है। दिनांक 26.07.2026 को वीरेन्द्र सिंह चौहान मेरे दुकान पर आया था जिससे मैने वाहन सं0- UP 72 AE 8393 गाडी को 2500 रु.मे खरीदा था सर मेरा कबाडी की दुकान है और इसी प्रकार के सस्ते सामान को खरीद कर मै अपने तथा अपने परिवार का जीवन यापन करता हूँ। पुलिस के डर से मैने उक्त वाहन को पास के तालाब में छिपा दिया हू। अभियुक्त सूरजबली सरोज की निशानदेही पर मोटर साइकिल को क्षत विक्षत हालत मे मिली है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. वीरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम नागापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।
2. सूरजबली सरोज पुत्र दुखी सरोज निवासी ग्राम भिटारा थाना जेठवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-
01 अदद चोरी का मोटरसाइकिल क्षति ग्रस्त हालत में बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 हेमन्त, का0 पुष्पेन्द्र, का0 सुभाष भारती, का0 प्रिन्स थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 29.07.2026
थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज पुलिस, स्पेशल टीम, स्वाट टीम व सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही: फर्जी दस्तावेजों पर औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त कर कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण एवं विक्रय से जुड़े ₹25,000 का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण व विक्रय में संलिप्त ₹25,000 का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त आयुष प्रताप सिंह उर्फ सिंह आयुष प्रताप विनोद गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार फर्म मेसर्स महादेव फार्मा, स्थित ग्राम झिंगुरपुर, परगना बाबागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ के नाम से जारी औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न जनपदों से भारी मात्रा में कोडीनयुक्त न्यू फेन्सेडिल कफ सिरप का क्रय किया गया। विभागीय सत्यापन के दौरान उक्त पते पर कोई मेडिकल स्टोर संचालित नहीं पाया गया तथा न ही फर्म द्वारा क्रय की गई औषधियों का भौतिक सत्यापन कराया गया और न ही विक्रय संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए गए। जांच में प्रथम दृष्टया फर्जी दस्तावेजों के आधार पर औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त कर उसका दुरुपयोग करते हुए कोडीनयुक्त औषधियों का गैर चिकित्सकीय प्रयोजनार्थ अवैध भंडारण एवं विक्रय किए जाने के तथ्य प्रकाश में आने पर दिनांक 16.12.2025 को थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 318(4), 338, 336(3), 340(2), 206(ए) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियोग में धारा 8(सी)/21(सी)/29(2) एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 27(डी)/28ए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की वृद्धि की गई। अभियोग पंजीकरण के उपरांत अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त पर ₹25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया तथा गिरफ्तारी के लिए विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर संभावित स्थानों पर लगातार दबिश एवं तलाश की कार्रवाई की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री संदीप तिवारी के नेतृत्व में थाना महेशगंज पुलिस, स्पेशल टीम एवं स्वाट टीम द्वारा सर्विलांस सेल के सहयोग से संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज के उक्त अभियोग से संबंधित ₹25,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आयुष प्रताप सिंह उर्फ सिंह आयुष प्रताप विनोद पुत्र विनोद कुमार सिंह, निवासी इटौरी, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 25 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत लालापुर बड़ी नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त आयुष प्रताप सिंह ने पूछताछ में बताया कि मेरे खिलाफ थाना महेशगंज में फर्जी रूप से कागज तैयार करके, मेडिकल एजेन्सी का लाईसेन्स लेकर के कोडीन कफ सीरप को अवैध रूप से बेंचने के सम्बन्ध में मुकदमा लिखा गया है, उसी में कई बार पुलिस मेरे घर जौनपुर में दबिश दे रही थी, तथा मैं गिरफ्तारी से बचने के लिये छिप रहा था, जब दबाव पड़ने लगा तो मैंने कल न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण डाला था तथा रात में प्रतापगढ़ में ही रुका था, और आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति मंदिर मनगढ़ घूमने जा रहा था और यही पर खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, कि आप लोगो ने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. आयुष प्रताप सिंह उर्फ सिंह आयुष प्रताप विनोद पुत्र विनोद कुमार सिंह, निवासी इटौरी, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 25 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना महेशगंज-
व0उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 सुनील कुमार मय चालक का0 प्रेमवीर सिंह।

स्पेशल टीम-
स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 विजेंद्र सिंह मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, आरक्षी माधवेश राय, आरक्षी पीयूष यादव, आरक्षी मुकेश पटेल, आरक्षी आनंद यादव।

स्वाट टीम-
स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया मय हमराह उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 धनंजय राय, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 सलमान, का0 आशुतोष पांडे मय चालक राजेंद्र कुमार, हे0का0 चालक राजेंद्र प्रसाद सिंह।

सर्विलांस टीम- का0 सनोज कुमार